राज्य सरकार बनाम श्रवणकुमार
मु.स. 153 / 2021
जीसीएमएस न. 2021 / 307

मि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया है तथा सपंरिवर्तन हेतु आवेदन करने पर राज्य रकार को राजस्व हानि होने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायायल का यह मत है कि तहसीलदार जायल को विवादित सरान की मुल खातेदार जिसके द्वारा कॉलोनी काटी गई के विरूद्ध वरवक्त कार्यवाही की जानी ो जो नहीं की गई। मौका रिपोर्ट में कुल 34 प्लॉट काटे जाने का अंकित किया है जबकि वाद त्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है जबकि शेष भू–खण्डो के राजस्व रिकॉर्ड की एवं मौका स्थिति की जांच कर सभी के विरूद्ध वादपत्र पेश किया जाना था। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ातेदारी भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है जो कि प्रतिवादीगण के जवाब, शपथ त्रो व पटवारी की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा कानूनी प्रक्रिया के हत सपंरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन भी किया हुआ होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना यायोचित प्रतित नही होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में असफल रहने से स्वीकर योग्य हीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रवाल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद तकमील एवं जाप्ता ार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

14/12/21
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 14/12/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

14/12/21
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner